अभियान के साथी

अभिनव फाउन्डेशन, अस्तित्व, आली, आंचल ग्रामीण विकास सामाजिक संस्थान, आगाज-ए-इंसाफ, आई.आई.एस.डी., उपवन, उ0प्र0 शहरी गरीब कामगार संघर्ष मोर्चा, एमेटी लखनऊ, एपवा, एहसास, एफ.पी.ए.आई, केयर इण्डिया, ग्राम्या संस्थान, ग्रामीण पुनर्निर्माण संस्थान, डा0 राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय फैजाबाद, डग, तरूण विकास संस्थान, दाऊद मेमोरियल क्रिश्चियन ग्रामीण विकास समिति, पं0 जी0बी0 पन्त इंस्ट्टीट्यूट, पेस, पानी, परिवर्तन में युवा, फाइन्ड योर फीट, बेटी फाउन्डेशन, बुलन्देलखण्ड डेवलपमेन्ट फाउन्डेशन, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी, पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर, बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय झांसी, बाबा राम करनदास ग्रामीण विकास सेवा समिति, महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ वाराणसी, महिला स्वास्थ्य अधिकार मंच, ममता, मैसवा, मधुबन सेवा समिति, ममता, यू.पी.एन.पी. '+', रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय बरेली, लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ, लखनऊ यूथ फोरम, सक्षम इंडिया ट्रस्ट, सी.सी.एस.आर., सृजन नेटवर्क, लोकमित्र, वात्सलय, विज्ञान फाउन्डेशन, सुचेतना, सहयोग, श्रमिक भारती, श्री रामानन्द सरस्वती पुस्तकालय, शिखर प्रशिक्षण संस्थान, हमसफर, हैल्थवॉच फोरम, युवा साथी व अन्य बुद्धिजीवी व्यक्ति

परिवर्तन में युवा

सचिवालय : सहयोग, ए-240, इन्दिरा नगर, लखनऊ - 226016, उ0 प्र0
फोन : 0522-2310747 **फैक्स :** 0522-2341319
ई-मेल : kritirc@sahayogindia.org **वेब साइट :** www.sahayogindia.org
ब्लॉग - http://www.ysrhr.wordpress.com

उत्तर प्रदेश की प्रस्तावित युवा नीति 2010

युवा विकास एवं अधिकारों की ओर....

युवा नीति पैरोकारी अभियान एवं परिवर्तन में युवा उत्तर प्रदेश

युवा विकास एवं अधिकारों की ओर..
उत्तर प्रदेश की प्रस्तावित युवा नीति
2010

युवा नीति पैरोकारी अभियान
एवं परिवर्तन में युवा उत्तर प्रदेश

सहयोग
ए–240, इंदिरानगर
लखनऊ – 226016
दूरभाष – 0522–2310747, 310860, फैक्स –0522–2341319
ईमेल –kritirc@sahayogindia.org
बेबसाइट –www.sahayogindia.org
ब्लाग - http://www.ysrhr.wordpress.com

सम्पादन

जशोधरा दासगुप्ता, शकुन्तला, श्रद्धा, अन्नू, प्रवेश और सुनील

रूपसज्जा

अंजू साह

मुद्रक

क्रियेशन ग्राफिक्स, लखनऊ

प्रतियों के लिए सम्पर्क करें

सहयोग

ए–240, इंदिरानगर

लखनऊ – 226016

दूरभाष – 0522–2310747, 310860

फैक्स –0522–2341319

ईमेल –kritirc@sahayogindia.org

विषय सूची....

1	उत्तर प्रदेश युवा नीति पृष्ठभूमि	7
2	प्रस्तावित युवा नीति के उद्देश्य एवं लक्ष्य	8
3	युवा की परिभाषा	8
4	युवाओं से सम्बन्धित प्रमुख मुद्दे एवं युवा नीति–निर्देश	8
	4.1 शिक्षा	9
	4.2 स्वास्थ्य और पोषण	10
	4.3 नागरिकता एवं भागीदारी	10
	4.4 रोजगार, आजीविका, प्रशिक्षण एवं व्यापार में सहयोग	11
	4.5 हिंसा	12
	4.6 सामाजिक सुरक्षा	13
	4.7 आपराधिक न्याय प्रणाली	14
	4.8 युवाओं का शारीरिक एवं नेतृत्व विकास	15
5	युवा नीति कि्रयान्वयन योजना	
	5.1 शिक्षा	16
	5.2 स्वास्थ्य और पोषण	16
	5.3 नागरिकता एवं भागीदारी	17
	5.4 रोजगार, आजीविका, प्रशिक्षण एवं व्यापार में सहयोग	18
	5.5 हिंसा	18
	5.6 सामाजिक सुरक्षा	19
	5.7 आपराधिक न्याय प्रणाली	20
	5.8 युवाओं का शारीरिक एवं नेतृत्व विकास	20
6	कार्य–प्रवाह की रूपरेखा	21
7	सन्दर्भ	22

उत्तर प्रदेश युवा नीति

1. पृष्ठभूमिः–

आज के दिन उत्तर प्रदेश में लगभग 6 करोड़ युवा हैं जो 15 से 24 साल के हैं। इतनी बड़ी संख्या में युवा यदि शिक्षित व स्वस्थ हों तो पूरे प्रदेश के लिए एक विशाल संसाधन बन सकते हैं। उनके पूर्ण विकास एवं अधिकारों की सुरक्षा वर्तमान सरकार और समाज की जिम्मेदारी है ।

जनसंख्या का इतना बड़ा भाग होने के बाद भी युवाओं के विकास और उनकी ऊर्जा का सुचारू रूप से उपयोग करने के लिये योजनायें और कार्यक्रम नहीं बन रहे हैं। जो योजनायें चल रही हैं उनमें से अधिकतर संचार के अभाव व प्रमुखता न मिलने के कारण युवाओं तक पहुँच नहीं रही हैं। सरकार द्वारा संचालित कार्यक्रमों (शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आजीविका, शारीरिक एवं नेतृत्व विकास आदि) व बन रही नीतियों में युवाओं की सहभागिता नहीं के बराबर है। युवाओं के अधिकार सुनिश्चित करने हेतु राज्य में युवा आयोग जैसा कोई उच्च स्तरीय ढाँचा भी नहीं है हांलाकि 2003 में राष्ट्रीय युवा नीति बनायी गयी, जिसके बाद सभी राज्य सरकारों को अपने राज्यों में युवा नीति बनानी थी। कुछ राज्यों जैसे हिमाचल प्रदेश, झारखण्ड, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश व कर्नाटक में युवा नीति लागू हो चुकी है।

उत्तर प्रदेश में युवाओं की अनदेखी स्थिति पर पहल के लिए 2007 से 'परिवर्तन में युवा' कार्यक्रम की शुरूआत की गयी, जिसमें 10 जिलों में 13 से 24 साल के लगभग 1500 युवाओं का विभिन्न कार्यक्रमों के तहत क्षमता विकास किया गया। कार्यक्रम के दौरान यह अनुभव किया गया कि युवाओं की कई ज़रूरतें और परेशानियां हैं, जिन पर कोई उचित प्रावधान होना अति आवश्यक है। इसी प्रयास के लिये 'परिवर्तन में युवा' कार्यक्रम के तहत एक राष्ट्रीय स्तर की परामर्श गोष्ठी (26 सितम्बर 2009) एवं दो राज्य स्तरीय परामर्श गोष्ठियों का आयोजन (29 सितम्बर 2009 एवं 30 अक्टूबर 2009) लखनऊ में किया गया, जिसमें सभी के समर्थन व सुझावों से प्रस्तावित उत्तर प्रदेश युवा नीति के मुद्दों का चयन किया गया।

इस युवा नीति प्रस्ताव पर समर्थन जुटाने के उद्देश्य से 13 नवम्बर से 11 दिसम्बर 2009 तक एक व्यापक राष्ट्र स्तरीय अभियान 'युवा नीति पैरोकारी अभियान' चलाया गया। इसके माध्यम से युवाओं व अन्य सम्बंधित लोगों जैसे माता पिता, शिक्षक वर्ग, स्वास्थ्य विभाग, पंचायतों, चयनित जनप्रतिनिधियों, नीति क्रियान्वित करने वाले लोगों, प्रमुख राजनैतिक दलों के युवा नेताओं व नीति निर्धारकों तक इसे पहुंचाया गया। युवा मुद्दों के जानकार लोगों व युवाओं के साथ मिलकर युवा नीति की कार्ययोजना भी बनायी गयी। इस अभियान के दौरान 35 जनपदों के लगभग 70 हजार लोगों ने प्रदेश में युवा नीति की मांग का समर्थन किया।

11 दिसम्बर 2009, राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के अवसर पर अभियान के दौरान की गयी गतिविधियों की उपलब्धियों व चुनौतियों को बाँटा गया, जिसमें मुख्य अतिथि उ0प्र0 सरकार के श्रम मंत्री, माननीय श्री बादशाह सिंह ने युवा नीति की मांग का समर्थन किया और इसे तत्काल प्रभाव से बनाने का सुझाव दिया। इस क्रम में बाँदा में आयोजित युवा नीति पैरोकारी के राज्य स्तरीय संवाद में माननीय ग्रामीण विकास मंत्री के प्रतिनिधि श्री जितेन्द्र गौरव जी ने युवा नीति को लागू करने के प्रयास में पुरजोर समर्थन करने का वादा करते हुये युवा नीति दस्तावेज पर अपना लिखित समर्थन दिया।

2. प्रस्तावित युवा नीति के उद्देश्य एवं लक्ष्यः–

2.1 उत्तर प्रदेश मे 6 करोड़ युवा हैं, जिनकी भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक एवं राजनैतिक स्थिति विविध है। इस युवा नीति का उद्देश्य है, उत्तर प्रदेश के साम्प्रदायिक, राजनैतिक एवं पितृसत्तात्मक परिपेक्ष्य को ध्यान में रखते हुऐ प्रदेश के युवाओं को उनके मौलिक अधिकार मुहैया कराना जैसे गुणवत्तापरक शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका और समानता का अधिकार।

2.2 इस नीति का लक्ष्य है युवाओं को उचित शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशिक्षण और रोजगार के अवसरों से सम्बन्धित जानकारी और सूचना उपलब्ध कराना और हर स्तर पर उनकी सहभागिता सुनिश्चित करना। साथ ही उन्हें विभिन्न व्यवसायों की जानकारी देना और उन्हें प्रारम्भ करने के लिये वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना।

2.3 इस नीति का उद्देश्य है युवाओं की निर्णायक क्षमता, लोकतांत्रिक भागीदारी, उचित सोच, नेतृत्व एवं कार्यकौशल की क्षमता को विकसित करना। साथ ही उन्हें अपनी आकांक्षाओं, जरूरतों और मुद्दों को पहचानने व समझने के अवसर प्रदान करना।

2.4 इस नीति के क्रियान्वयन से सरकार और नागरिक समाज द्वारा विकास के लिये प्रारम्भ किये गये कार्यों के क्रियान्वयन एवं नियोजन में युवाओं को समान अवसर और भागादारी के मौके मिलेंगे।

2.5 इस नीति के सफल क्रियान्वयन, अनुश्रवण और युवाओं के विकास और अधिकारों पर विचार करने के लिए एक उचित व सक्रिय ढाँचे का निर्माण किया जायेगा। युवा आयोग जैसे किसी ढाँचे के गठन से विभिन्न विभागों के बीच तालमेल बढ़ाया जायेगा और युवा अधिकारों को विशेष संरक्षण मिलेगा।

3. युवा की परिभाषाः–

"उत्तर प्रदेश की प्रस्तावित युवा नीति में वह सभी युवा सम्मिलित हैं, जिनकी उम्र 13–24 वर्ष के बीच है, जिनमें 13 से 19 वर्ष को किशोरावस्था तथा 20 से 24 वर्ष को वयस्क युवा में बांटा गया है। 2001 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में 6 करोड़ से भी ज्यादा युवा हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपने आँकड़ों के लिए 15–24 वर्ष के लोगों को युवा के रूप में परिभाषित किया है जबकि राष्ट्रीय युवा नीति में भारत सरकार ने 13–35 वर्ष के लोगों को युवा के रूप में चिन्हित किया है और उन्हें दो भागों – किशोर (13–19) और वयस्क युवा (20–35) में बाँटा है।

विविध परिस्थितियों और पहचान को ध्यान में रखते हुये प्रस्तावित युवा नीति के मुख्य लक्ष्य समूह में कई प्रकार के युवा शामिल हैं, जैसे – स्त्री–पुरूष, शैक्षणिक संस्थानों के अन्दर या बाहर, साक्षर एवं निरक्षर, विकलांग, शहरी एवं ग्रामीण, विभिन्न धर्मों या जातियों के युवा, आदिवासी युवा, मजदूरी या घरेलू कार्य करने वाले और विविध यौनिक पहचान रखने वाले युवा।

4. युवाओं से सम्बन्धित प्रमुख मुद्दे एवं युवा नीति निर्देशः–

उत्तर प्रदेश की प्रस्तावित युवा नीति यह स्वीकारती है कि इस उम्र के युवा कई सारे परिवर्तनों एवं चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, जिसमें उन्हें अपने अग्रजों से पूरा सहयोग नहीं मिल पाता है। साथ ही अक्सर उन्हें 'बच्चा' समझकर महत्वपूर्ण निर्णयों से अलग रखा जाता है। यदि अपनी ज़िन्दगी को प्रभावित करने वाले निर्णयों में युवा भाग ले पाते, तो वह ज़िम्मेदारीपूर्ण निर्णय लेने में सक्षम बन पाते। समाज को परिवर्तन की ओर ले जाने में युवा पीढ़ी की अहम् भूमिका है जिसमें युवा नीति द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार उनके प्रयासों को मज़बूती प्रदान करेगी और उनके सभी मुद्दों पर विशेष ध्यान देगी जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण, पहचान और समानता, नागरिकता एवं भागीदारी, रोजगाार, आजीविका, प्रशिक्षण और व्यापार में सहयोग, जेण्डर, हिंसा, सामाजिक सुरक्षा, आपराधिक न्याय प्रणाली आदि। भिन्न पहचान रखते हुए भी युवाओं की बराबरी और जेण्डर समानता इस नीति का सिद्धान्त रहेगा। यह नीति युवाओं की विविधता, जेण्डर समता व समानता, पहचान तथा सहभागिता को प्रोत्साहन देती है।

4.1 शिक्षाः–

वर्तमान में कानून और नीतिः– भारत में छः से चौदह वर्ष तक के लड़के और लड़कियों के लिये संविधान के तहत समान, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा सरकार की जिम्मेदारी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में स्कूल से बाहर और काम में लगे हुए युवा (जो पूरा दिन स्कूल में उपस्थित नहीं रह सकते) के लिये अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रमों को सुदृढ़ और विस्तृत करने की बात कही गयी है। साथ ही माध्यमिक स्तर पर लड़कियों, अनुसूचित जाति, जनजाति व पिछड़े एवं मुस्लिम समुदाय के युवाओं का नामांकन बढ़ाने व विज्ञान, वाणिज्य, रोजगारपरक शिक्षा में उनकी पहुंच बढ़ाने की बात की गयी है। राष्ट्रीय युवा नीति के तहत उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रमों में स्वास्थ्य और उससे सम्बन्धित जानकारियों (प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी मुद्दों, जिसमें सुरक्षित यौन व्यवहार शामिल हैं) को शामिल करने की बात कही गयी है। 1985 में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय खोला गया जिसके तहत उच्च शिक्षा से वंचित रह जाने वाले युवाओं को औपचारिक ढाँचे के तहत उच्च शिक्षा लेने के प्रावधान मुहैया कराये गये हैं।

माध्यमिक स्कूलों में बच्चों की उपस्थितिः–

ग्रामीण

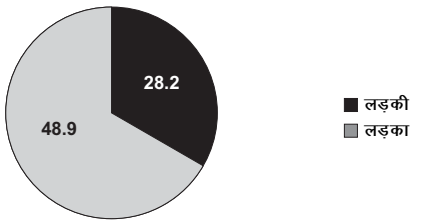

शहरी

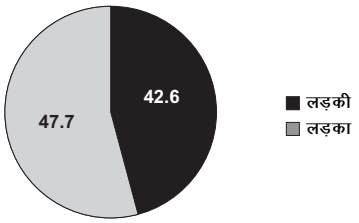

उत्तर प्रदेश में युवाओं की वर्तमान स्थितिः– प्राथमिक शिक्षा के बाद बहुत कम बच्चे अपनी पढ़ाई जारी रख पाते हैं उत्तर प्रदेश में 15–17 वर्ष के युवाओं मे से केवल ***31.5 प्रतिशत और 48.6 प्रतिशत लड़कियां या लड़के स्कूलों मे पढ़ रहे हैं।***

ग्रामीण क्षेत्रों में कुल 28.2 प्रतिशत महिलायें व 48.9 प्रतिशत पुरूष युवा शिक्षा ले रहे हैं जबकि शहरी क्षेत्रों में 42.6 प्रतिशत महिलायें व 47.7 प्रतिशत पुरूष युवा शिक्षा ले रहे हैं। उत्तर प्रदेश में आज माध्यमिक शिक्षा के कुल 3149 स्कूल हैं जबकि उच्च माध्यमिक स्तर पर कुल 5190 विद्यालय हैं। आँकड़ें स्पष्ट करते हैं कि बड़ी संख्या में युवा स्कूलों से बाहर हैं और उनके लिए पर्याप्त स्कूल भी उपलब्ध नहीं हैं। कक्षा 10 तक लड़कियां बहुत कम पहुंच रही हैं, ***शहरी युवक भी आधे से ज्यादा माध्यमिक शिक्षा भी पूर्ण नहीं कर पा रहे हैं।***

युवा नीति–निर्देशः– सरकार युवाओं के लिये माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा को भी निःशुल्क और अनिवार्य करेगी । सरकार युवाओं के लिए उच्च शिक्षा के स्तर पर विभिन्न विषयों को पढ़ने और उनकी रूचि के आधार पर विषय चयन के लिए काउन्सिलिंग की व्यवस्था करेगी। उच्च शिक्षण संस्थानों के बढ़ते निजीकरण और महंगी फीस के कारण यह निर्धन और मध्यम वर्ग के युवाओं की पहुँच से बाहर हो गया है। इसे रोकने और युवाओं की इन संस्थानों तक पहुँच बढ़ाने के लिये सरकार अधिक और गुणवत्तापरक उच्च शिक्षण संस्थानों का निर्माण करेगी। वंचित समुदाय के युवाओं ख़ासकर लड़कियों को इसका लाभ दिलाने के लिए छात्रवृत्ति व छात्रावासों की सुविधा प्रदान करेगी। कामकाजी युवाओं को वजीफा देकर सरकार मुक्त विश्वविद्यालय अथवा दूरस्थ शिक्षा पाठ्यक्रमों के द्वारा उनकी शिक्षा पूर्ण करने में मदद करेगी। सरकार पिछड़े, अनुसूचित जाति –जनजाति और मुस्लिम युवाओं के लिये आरक्षण को लागू कर माध्यमिक व उच्च शैक्षणिक संस्थानों और नौकरियों में उनकी समान उपस्थिति को सुनिश्चित करेगी।

4.2 स्वास्थ्य और पोषणः–

वर्तमान में कानून और नीतिः– राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत विभिन्न स्वास्थ्य केन्दों जिसमें प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्दों और जिला अस्पताल में गर्भनिरोधकों, माहवारी के दौरान सफाई, प्रजनन तंत्र संक्रमण, यौन जनित रोग, एच.आई. वी. और एड्स को रोकने के लिए प्रबन्धन व शिक्षा के अतिरिक्त पोषण, गर्भपात व सुरक्षित यौन व्यवहार शामिल हैं, में युवाओं को विभिन्न विषयों पर काउन्सिलिंग तथा गर्भवती महिलाओं के लिए प्रतिरक्षण का प्रावधान है। इन विषयों में राष्ट्रीय युवा नीति भी युवाओं के पौष्टिक आहार में कमी को स्वीकार करती है और साथ ही भेदभाव के कारण युवतियों में कुपोषण, खून की कमी और अन्य पोषण सम्बन्धित समस्याओं को समाप्त करने के लिये, विभिन्न जागरुकता अभियानों और कार्यक्रमों को शुरू करने का प्रावधान रखने की बात करती है। गर्भ का चिकित्सकीय समापन अधिनियम 1971 के अन्तर्गत महिलाओं को कुछ विशेष परिस्थितियों में गर्भपात करवाने का अधिकार है। 18 साल से कम उम्र की लड़कियों को गर्भपात की सेवा लेने के लिए अभिभावक की मंजूरी लेना आवश्यक है। साथ ही जनसंख्या शिक्षा के तहत 17 साल से कम उम्र के युवाओं को शादी की सही उम्र, प्रथम प्रसव की सही उम्र, बच्चों के मध्य अन्तर तथा परिवार नियोजन आदि पर संवेदित करने की बात भी कही गयी है। उत्तर प्रदेश जनसंख्या नीति, 2000 में किशोरावस्था में लड़के व लड़कियों को पारिवारिक जीवन की शिक्षा (भविष्य–योजना, शिक्षा का महत्व, लैंगिक भूमिका) देने का प्रावधान भी है।

उत्तर प्रदेश में युवाओं की वर्तमान स्थितिः– 15–24 वर्ष की अविवाहित महिलाओं की तुलना में विवाहित महिलाओं में खून की कमी होने की ज्यादा संभावनायें हैं। उत्तर प्रदेश में 50 प्रतिशत युवतियों और 24 प्रतिशत युवाओं में खून की कमी पाई गयी है। तथ्यों के अनुसार उत्तर प्रदेश में 7 प्रतिशत युवक जिनकी उम्र 15–20 वर्ष के बीच है, की शादी और गौना हो जाता है और इसी उम्र के 3 प्रतिशत युवकों की शादी हो जाती है पर गौना नही होता। 15 प्रतिशत युवतियाँ जिनकी उम्र 15–17 वर्ष के बीच है की शादी और गौना दोनो हो जाता है और इसी उम्र की 22 प्रतिशत युवतियों की शादी हो जाती है पर गौना नही होता। उत्तर प्रदेश में 15–24 वर्ष के विवाहित युवाओं में से केवल 23 प्रतिशत युवाओं को ही गर्भनिरोधकों की जानकारी है। 18 साल से कम उम्र की युवतियों को गर्भपात के लिए अभिभावक की मंजूरी लेना आवश्यक है इसलिए युवतियां औपचारिक व सुरक्षित गर्भपात के लिए नहीं जा पाती जिस वजह से इस पर आँकड़े उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। आँकड़ों के अनुसार, उत्तर प्रदेश में युवाओं में एच.आई. वी. संक्रमण बहुत तेजी से हो रहा हैं।

युवा नीति–निर्देशः– सरकार प्रदेश में युवाओं के बेहतर सर्वांगीण विकास के लिए सभी उचित प्रावधान सुनिश्चित करेगी, जिसमें स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी हेतु काउन्सिलिंग व सेवाओं की उपलब्धता शामिल होगी। युवाओं में एनीमिया को कम करने के लिए शैक्षिक संस्थानों तथा आँगनबाड़ी में युवाओं के लिए पौष्टिक आहार जिसमें गुड़, फल और मोटे अनाज भी शामिल हों की उपलब्धता सुनिश्चित करेगी। साथ ही शैक्षिक संस्थानों के बाहर युवाओं को भी इस संबंध में अलग से जन–जागरण अभियान चलाकर जानकारी व सुविधाएं उपलब्ध करायेगी। युवतियों में प्रजनन तंत्र संक्रमण रोकने के लिए माहवारी के समय युवतियों को सस्ते पैड उपलब्ध करायेगी। साफ–सफाई, स्वास्थ्य, प्रजनन, पोषण, यौनिकता के बारे में जानकारी देने के लिये शैक्षिक संस्थाओं में लड़कियों के लिये महिला शिक्षिका की नियुक्ति करेगी, लड़कों को यह जानकारी देने के लिए पुरूष शिक्षक नियुक्त किये जायेंगे। प्रत्येक शैक्षिक संस्थान में महिला–पुरुष के लिये अलग–अलग शौचालय व पानी की व्यवस्था का प्रावधान करेगी। ए. एन.एम. व डॉक्टर समय–समय पर स्कूलों का भ्रमण कर युवाओं को स्वास्थ्य संबंधित जानकारी देंगे।

4.3. नागरिकता एवं भागीदारीः–

वर्तमान में कानून और नीतिः– भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 8 में नागरिकता को परिभाषित किया गया

है। भारतीय संविधान के अनुसार 18 वर्ष या उससे अधिक के सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार है। संविधान के अनुच्छेद 243 (द) में संशोधन करके पंचायत के हर स्तर पर महिलाओं के लिए ***50 प्रतिशत*** आरक्षण को शामिल किया है। संविधान के 73वें संशोधन के अनुसार 21 साल की उम्र से युवा पंचायत चुनावों में प्रतिभाग कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश महिला नीति 2006 के तहत महिलाओं के सशक्तिकरण और विकास के सभी निर्णयों की प्रक्रियाओं में उनकी बराबर भागीदारी की बात की गयी है।

उत्तर प्रदेश में युवाओं की वर्तमान स्थितिः– देश की कुल जनसंख्या का 48 प्रतिशत भाग महिलायें हैं लेकिन हर क्षेत्र में उनकी बराबरी नहीं है। प्रदेश के लगभग सभी राजनैतिक दलों में सक्रिय युवा शाखा हैं। उत्तर प्रदेश में कुल 30 विश्वविद्यालय हैं। वर्तमान में सभी विश्वविद्यालयों में छात्रसंघों की प्रक्रिया संचालन में नहीं हैं।

युवा नीति–निर्देशः– सरकार युवाओं की पंचायतों एवं अन्य शासन प्रणाली के स्तरों तक पहुँच बढ़ाना सुनिश्चित करेगी। विविध प्रकार के युवाओं को राजनैतिक पहलों/निर्णयों में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से शामिल करेगी। यदि पंचायतों में 30 प्रतिशत से अधिक युवाओं को शामिल किया जायेगा तो उन पंचायतों को सरकार प्रोत्साहन देगी। प्रत्येक 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के युवा का मतदान अधिकार सुनिश्चित करने के लिए पंजीकरण अभियान चलायेगी। सरकार एन.सी.सी. व नेहरू युवा केन्द्रों के माध्यम से तहसील, जिले व राज्य स्तर पर युवा कमेटियों का गठन करेगी और साथ ही पहले से गठित समितियों का सक्रिय क्रियान्वयन को सुनिश्चित करेगी, जिसका उद्देश्य सरकार की विभिन्न नीतियों के निर्माण और क्रियान्वयन में युवाओं की सम्पूर्ण भागीदारी करना होगा।

4.4 रोजगार, आजीविका, प्रशिक्षण एवं व्यापार में सहयोगः–

वर्तमान में कानून और नीतिः– प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम 2008 के तहत शहरी व ग्रामीण लोगों के लिए लघु उद्योगों/परियोजनाओं/उद्यमों के तहत् रोज़गार के अवसर उपलब्ध कराने का प्रावधान है। स्वर्णजयंती स्वरोजगार योजना के तहत् युवाओं को स्वरोगार हेतु, उनके क्षमतावृद्धि प्रशिक्षण कार्यक्रम, मुख्य गतिविधियों के चयन तथा उनका नियोजन, उसके लिए बुनियादी सुविधाओं, तकनीकी व विपणन (बेचने) में सहयोग देने के प्रावधान दिये गये हैं। अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु प्रधानमंत्री 15 सूत्रीय कार्यक्रम के तहत स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहे अल्पसंख्यक लोगों को जीविकोपार्जन के लिए बैकों द्वारा ऋण तथा छूट देने का प्रावधान है। साथ ही इसके तहत रोजगार, आजीविका, प्रशिक्षण तथा व्यापार में सहयोग के विभिन्न प्रावधानों की बात की गयी है। स्वर्णजयंती शहरी रोजगार योजना 1 सितम्बर, 2006 के तहत शहरी गरीबों व बेरोजगारों के लिए रोजगार के अवसर मुहैया कराने के लिए स्वरोजगार, मजदूरी, महिला समूहों की लघु उद्योगों के लिए क्षमतावृद्धि, बचत समूहों के गठन का प्रावधान है। महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम (2005) के तहत एक परिवार को 100 दिन का रोज़गार देने की बात कही गयी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में भी माध्यमिक एवं उच्च शैक्षणिक संस्थानों में रोजगारपरक शिक्षा को पाठ्यक्रमों में शामिल करने के साथ युवाओं को रोजगार एवं तकनीकी प्रशिक्षण देने की बात कही गयी है। युवाओं में स्वरोजगार की भावना को बढ़ाने के लिये उनके उच्च शिक्षा और डिप्लोमा के विषयों के साथ–साथ वैकल्पिक पाठ्यक्रमों के माध्यम से उद्यमिता का प्रशिक्षण देने का प्रावधान भी है। उत्तर प्रदेश महिला नीति 2006 के तहत राजकीय सेवाओं में महिलाओं के लिए 20 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है।

उत्तर प्रदेश में युवाओं की वर्तमान स्थितिः– ग्रामीण युवाओं के स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम (ट्राईसेम) का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण युवाओं का तकनीकी और औद्योगिक प्रशिक्षण था ताकि वे जीविकोपार्जन की गतिविधियों को आरम्भ कर सकें, लेकिन अप्रैल 1999 में इस कार्यक्रम को स्वर्णजयंती स्वरोजगार योजना में समाहित कर दिया गया जिससे

युवा केन्द्रित रोजगार कार्यक्रम ख़त्म हो गये हैं, जिससे युवाओं को कम अवसर मिल पाते हैं। उत्तर प्रदेश में 67 प्रतिशत पुरूष और 27 प्रतिशत महिलायें कार्यरत हैं, जो कि पुरूषों की तुलना में आधे से भी कम हैं। साथ ही वह युवा वर्ग जो अपनी विशेष परिस्थितियों के कारण राज्य सरकार द्वारा संचालित गृहों जैसे सम्प्रेक्षण गृह, बाल गृह आदि में रह रहा है, को स्वरोजगार की नयी योजनाओं से नहीं जोड़ा गया है। ऐसे गृहों मे रहने वाली युवतियो को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का कोई भी प्रावधान नहीं किया गया है।

युवा नीति–निर्देश– उत्तर प्रदेश सरकार रोजगारपरक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिये अधिक पॉलिटेक्निकों एवं अन्य तकनीकी संस्थानों का निर्माण करेगी। युवाओं को रोजगार, आजीविका तथा सम्बन्धित प्रशिक्षणों के लिए युवा केन्द्रित कार्यक्रमों/योजनाओं का निर्माण करेगी। रोजगार मंत्रालय, महात्मा गाँधी रोजगार गारण्टी अधिनियम, 2005 में युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए विशेष प्रावधान सुनिश्चित करेगी, जिसमें युवाओं के लिए अतिरिक्त दिनों को शामिल करेगी ताकि अधिनियम के तहत कार्यों में युवाओं की सहभागिता शत–प्रतिशत हो सके। लघु और कुटीर उद्योग शुरू करने के लिये सरकार ग्रामीण युवाओं को बैंको (नाबार्ड और सिड्बी आदि) द्वारा कम ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध करायेगी। सरकार, युवाओं तक राज्य में क्रियान्वित हो रही अथवा नई नीतियों, क़ानूनों तथा कार्यक्रमों की सूचना पहुंचाने के लिए विभिन्न संचार माध्यमों का प्रयोग सुनिश्चित करेगी। बारहवीं कक्षा के बाद हर युवा का रोजगार कार्यालय में नामांकन आवश्यक हो, इसके लिए सरकार सभी उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए आदेश जारी कर युवाओं का नामांकन सुनिश्चित करेगी। सरकार रोजगारपरक स्कूली शिक्षा के प्रावधान सुनिश्चित करेगी तथा स्कूलों में काउन्सिलिंग की व्यवस्था करेगी।

4.5. हिंसाः–

वर्तमान कानून और नीतिः– घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम, 2005 के तहत महिलाओं को संरक्षण, गुजारा भत्ता, चिकित्सा आदि मिलने का प्रावधान है। किशोर न्याय (देखभाल और संरक्षण) अधिनियम 2000 के तहत किशोरों के ऊपर शारीरिक और मानसिक हिंसा करने वाले व्यक्ति के लिये कठोर सज़ा का प्रावधान है। विशाखा निर्णय के दिशा–निर्देशों के अनुसार, कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन–शोषण से बचाव के लिये सभी सरकारी और गैर–सरकारी संस्थानों में यौन–उत्पीड़न के विरूद्ध कमेटी का गठन होना चाहिये। विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत अन्तर्जातीय और अन्तर्धार्मिक विवाह का प्रावधान है। प्रदेश में हिंसा को रोकने व न्याय दिलाने के लिए राज्य महिला आयोग, अनुसूचित जाति/जनजाति आयोग, अल्पसंख्यक आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग तथा किशोर न्याय बोर्ड का गठन किया गया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 देश के सभी नागरिकों को कानून के समक्ष समानता तथा व्यक्तियों में अनुचित भेदभाव को रोकने का मौलिक अधिकार देता है वहीं अनुच्छेद 15 धर्म, जाति, वर्ण, लिंग और जन्म के स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध करता है। अनुच्छेद 17 छुआछूत का बहिष्कार करता है। यदि किसी व्यक्ति के साथ छुआछूत किया जाता है तो कानून के तहत छुआछूत करने वाले व्यक्ति के लिए कठोर दण्ड देने का प्रावधान है।

उत्तर प्रदेश में युवाओं की वर्तमान स्थितिः– उत्तर प्रदेश में युवाओं के साथ घरों, स्कूलों, सार्वजनिक स्थानों, दफ्तरों, यातायात के सार्वजनिक साधनों आदि में हिंसा होती है। आँकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक हिंसा की घटनायें हुयी है। उत्तर प्रदेश में 2006 में महिलाओं के खिलाफ हिंसा की कुल 16013 घटनायें रिकार्ड की गयीं जबकि 2007 में यह आँकड़ा 18302 हो गया। राष्ट्रीय महिला आयोग के अनुसार 2008 में भी उत्तर प्रदेश में ही सबसे ज्यादा महिला हिंसा की घटनायें हुयी हैं। स्कूल जाने वाले बच्चों के साथ होने वाली यौन हिंसा के लिए लड़के और लड़कियों के आँकडों में कोई बड़ा अंतर नहीं है। दोनों के साथ सामान्य रूप से बराबर यौन हिंसा अथवा जबरदस्ती यौन सम्बन्ध बनाये जाते हैं। इस यौन हिंसा का काफी गहरा प्रभाव उनके शारीरिक, मानसिक और व्यवहार में होने वाले परिवर्तन के रूप में देखा जा सकता है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण–3 के

अनुसार उत्तर प्रदेश में 15 से 24 साल की 46 प्रतिशत युवतियाँ और 49 प्रतिशत युवक, पत्नियों के प्रति शारीरिक हिंसा को स्वीकारते हैं और सही मानते हैं। यह आँकड़ा स्पष्ट करता है कि अभी युवाओं में हिंसा के प्रति संवेदनशीलता काफी कम है। "आतंकवाद रोकथाम अधिनियम 2002" तथा "आतंकवाद और विध्वंसात्मक गतिविधि (निरोधक) क़ानून 1987" के तहत वर्तमान में एक समुदाय विशेष के युवाओं का बेवजह स्वतंत्रता व जीवन जीने के मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है।

युवा नीति–निर्देशः– उत्तर प्रदेश सरकार युवाओं को विधिक साक्षरता बढ़ाने और युवाओं को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करने के लिये जिले स्तर पर गठित विधिक सहायता बोर्डों को सक्रिय करेगी और हर स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालयों में मनोवैज्ञानिक सलाहकार की नियुक्ति करेगी। प्रदेश सरकार युवाओं के साथ हो रही हिंसा को रोकने के लिए शैक्षणिक संस्थानों में यौन उत्पीड़न एवं रैगिंग के विरूद्ध कमेटी को बनाने का प्रावधान करेगी। सरकार प्रदेश में घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 का सक्रिय क्रियान्वयन सुनिश्चित करेगी। साथ ही हर जिले में निर्धारित मानकों के आधार पर अधिकारियों की नियुक्ति सुनिश्चित करेगी। पाठ्यक्रम में जेण्डर समानता, कानून की जानकारी, हिंसा मुक्त समाज आदि विषय शामिल करेगी। सार्वजनिक यातायात के साधनों में महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा को रोकने के लिए हैल्पलाइन नम्बर पर शिकायत आने पर तुरन्त सक्रिय कदम उठाना सुनिश्चित करेगी।

4.6. सामाजिक सुरक्षाः–

वर्तमान कानून और नीतिः– भारतीय संविधान के अनुच्छेद 43 के अनुसार राष्ट्र के सभी नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा का अधिकार है। अनुच्छेद 39 (अ, द, य) और अनुच्छेद 42 के निर्देशक सिद्धान्त के अनुसार पुरूषों और महिलाओं को आजीविका के पर्याप्त अवसर पाने, समान काम के लिए समान वेतन, महिला और बाल कामगारों के स्वास्थ्य और ऊर्जा की सुरक्षा, काम की न्यायपूर्ण व मानवीय परिस्थितियों और मातृ सुरक्षा की बात करता है। सामाजिक सुरक्षा हेतु कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948, कर्मचारी भविष्य निधि प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम 1992, कामगार क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923, मातृत्व लाभ योजना 1961, ग्रेच्युटी के भुगतान अधिनियम 1972 बनाये गये हैं। विकलांग जन के समग्र कल्याण हेतु भारत सरकार द्वारा विकलांग जन (समान अवसर, अधिकार, संरक्षण, पूर्ण भागीदारी) 1995 को पारित किया गया है। उत्तर प्रदेश में विकलांग कल्याण विभाग का गठन किया गया है। 2008 में सामाजिक सुरक्षा कानून के तहत विभिन्न प्रावधानों जैसे जीवन और दुर्घटना बीमा, स्वास्थ्य एवं मातृ लाभ आदि की बात की गई है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 संशोधित 2005 की धारा 6 के अन्तर्गत महिलाओं और पुरूषों को पैतृक सम्पत्ति में बराबर का अधिकार है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत सभी नागरिकों को कानून के समक्ष समानता व सुरक्षा का अधिकार है। अनुच्छेद 16 (1, 2) के तहत सार्वजनिक नौकरियों में सभी नागरिकों को समान अवसर देने का संवैधानिक प्रावधान भी है। पिछले 20 सालों में योजना आयोग ने समाज में जेण्डर असमानता को स्वीकार कर महिला व बाल विकास विभाग के साथ विभिन्न प्रावधान किये हैं। 2004–05 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने जेण्डर समता बजट को मिशन स्टेटमेंट के रूप में स्वीकार भी किया है। वर्तमान में वार्षिक बजट में जेण्डर बजट का प्रावधान भी किया जा रहा है।

उत्तर प्रदेश में युवाओं की वर्तमान स्थितिः– आज के दिन उत्तर प्रदेश में काम कर रहे लोगों में से 95.8 प्रतिशत लोग असंगठित कार्यकर्ता/मजदूर हैं। असंगठित क्षेत्र में कार्यरत लोगों के लिए विशेष सरकारी प्रावधान नहीं हैं। तीन राज्यों में किये गये एक अध्ययन के अनुसार उत्तर प्रदेश में इस क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं को निर्धारित मजदूरी भी नहीं मिल पाती है और न ही काम की वजह से हुयी दुर्घटना अथवा बीमारी में इलाज के लिए कोई मुआवजा ही मिलता है। अधिकांश कामगारों से सम्बन्धित कानून असंगठित क्षेत्र में कार्यरत लोगों पर लागू नहीं होते क्योंकि उनमें कुछ ख़ास शर्तें रखी गयी हैं। युवाओं को अशिक्षा और गरीबी के चलते इस क्षेत्र में कार्य करना पड़ता है।

अशिक्षा होने की वजह से उन्हें काम की अधिकता, कम मजदूरी व काम करने की प्रतिकूल परिस्थितियों से भी समझौता करना पड़ रहा है। असंगठित क्षेत्र के लिए सामाजिक सुरक्षा कानून 2008 के तहत दस योजनाओं की बात भी की गयी है जो अधिकतर गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहे लोगों के लिए लागू होती है।

युवा नीति–निर्देशः– सरकार कार्यरत लोगों के लिए बने उपरोक्त कानूनों की शर्तों में ढील देने का प्रयास करेगी ताकि सभी क्षेत्र के युवा इनका पूर्ण लाभ उठा सकें। सरकार असंगठित क्षेत्रों में कार्यरत युवा केन्द्रित नीति व कानूनों का निर्माण करेगी। प्रदेश में विकलांग कल्याण विकास के तहत संचालित योजनाओं के सक्रिय क्रियान्वयन को सुनिश्चित करेगी। सरकार युवाओं के जीवनयापन वेतन को सुनिश्चित करने का प्रावधान करेगी ताकि युवाओं का जीवनस्तर बेहतर हो सके। सरकार मातृत्व लाभ अधिनियम के तहत असंगठित क्षेत्रों में कार्यरत युवतियों को भी शामिल करेगी और इस क्षेत्र में कार्यरत युवाओं के लिए कार्य के दौरान किसी दुर्घटना अथवा काम की वजह से होने वाली बीमारी के लिए कामगार क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 के तहत प्रावधान सुनिश्चित करेगी। असंगठित क्षेत्र में कार्यरत युवाओं के लिए शिक्षा व स्वास्थ्य के विशेष प्रावधान सुनिश्चित करेगी।

4.7 आपराधिक न्याय प्रणालीः–

वर्तमान कानून और नीतिः– किशोर न्याय (देखभाल व संरक्षण) अधिनियम 2000 का निर्माण ऐसे युवाओं के लिये किया गया है जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे कम है और जिन्हें अपनी विशेष परिस्थितियों के कारण राज्य सरकार की देखभाल व संरक्षण की आवश्यकता है। संविधान के अनुच्छेद 52 के अनुसार सरकार के तीन प्रमुख अंग विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका हैं।

आज उत्तर प्रदेश में युवाओं की स्थितिः– उत्तर प्रदेश के न्यायालयों में पूरे देश की तुलना में सबसे अधिक न्यायिक मामले लम्बित हैं। आज के दिन उत्तर प्रदेश में कुल 17 किशोर सम्प्रेक्षण और बाल गृह हैं।

युवा नीति–निर्देशः– सरकार किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष लम्बित मामलों को तुरन्त निपटाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठायेगी ताकि युवाओं के मामले लम्बित न रहें। किशोर–किशोरियों के लिए बने संरक्षण गृहों में सरकार एक निगरानी कमेटी का निर्माण करेगी ताकि युवाओं को सही देखभाल मिल सके। सरकार संरक्षण गृहों में उपस्थित काउन्सलरों के युवाओं के साथ संवेदनशील व्यवहार के लिए प्रशिक्षण का प्रावधान करेगी। विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों में छुआछूत के आधार पर भेदभाव को खत्म करने के लिए उपलब्ध कानूनों का सक्रिय क्रियान्वयन करेगी। राज्य सरकार की अभिरक्षा में रह रहे युवाओं के लिये सरकार निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध करायेगी एवं वह सारे प्रबन्ध करेगी जिससे किशोर न्याय एव बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण अधिनियम का सुचारु रुप से पालन हो। राज्य सरकार अपनी अभिरक्षा में रह रही युवतियों के विवाह को ही केवल प्रमुखता नहीं देगी बल्कि उनके लिये रोजगार परक शिक्षा एवं स्वरोजगार की सभी सुविधायें भी उपलब्ध करायेगी।

4.8 युवाओं का शारीरिक एवं नेतृत्व विकासः–

वर्तमान कानून और नीतिः– उत्तर प्रदेश में युवाओं के शारीरिक विकास के लिए युवा कल्याण व खेल विभाग है। इसके तहत नेहरू युवा केन्द्रों के माध्यम से राष्ट्र निर्माण के लिए युवा समूहों के निर्माण का प्रावधान है। नेहरू युवा केन्द्रों का उद्देश्य एक उत्प्रेरक संस्था के रूप में कार्य करना है जिससे केन्द्र व राज्य सरकार की सामान्य व विशेष योजनायें ग्रामीण युवाओं तक पहुँच सकें। नेहरू युवा केन्द्रों के बड़े नेटवर्कों का उपयोग विकास के मुख्य क्षेत्रों जैसे रोजगार सृजन, परिवार कल्याण, राष्ट्रीय एकता, लिंग समानता, पर्यावरण संरक्षण और महिला सशक्तिकरण के कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए किया जाना सुनिश्चित है। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर युवाओं के विचारों व सीख के आदान प्रदान के लिए युवा मामले व खेल मंत्रालय ने अन्तर्राष्ट्रीय युवा शैक्षिक भ्रमण कार्यक्रम बनाया है।

उत्तर प्रदेश में युवाओं की वर्तमान स्थितिः– भारत की राष्ट्रीय युवा नीति के तहत युवकों के हित में खेल नीति, 2005 के प्रभावी क्रियान्वयन न हो पाने के कारण युवाओं को उचित खेल प्रशिक्षण नहीं मिल पा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2009–10 में युवाओं के विकास के लिए युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल/विकास दल विभाग में कुल रूपये 604289 के बजट का प्रावधान है जिसमें से केवल रूपये 32784 की धनराशि को अवमुक्त किया गया है और उसमें से भी केवल रूपये 16124 आवंटित किये गये हैं। कुल बजट प्रावधान में से रूपये 561300 की धनराषि केवल पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान के लिए रखी गयी है जो कि अवमुक्त ही नहीं हुयी है।

युवा नीति–निर्देशः– सरकार प्रदेश में खेल को बढ़ावा देने के लिये कार्यक्रमों का निर्माण करेगी और युवाओं का उनके प्रति रूझान बढ़ाने के लिये खेल से सम्बन्धित सभी आवश्यकताओं (मैदानों, छात्रावासों, खेल–सम्बन्धी सामानों आदि) को पूरा करेगी। इसके लिए अधिक बजट का प्रावधान रखकर उसे समय से आवंटित करेगी। आवंटित बजट के बेहतर उपयोग के लिए कार्यक्रम नियोजन में युवाओं की सहभागिता भी सुनिश्चित करेगी। साथ ही युवक व युवतियों के साथ–साथ खेलने की व्यवस्था करेगी। जेण्डर समानता को बढ़ावा देने के लिए युवक व युवतियों दोनों को सभी खेल प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग के लिये बराबर अवसर दिलायेगी। अन्तर्राष्ट्रीय युवा शैक्षिक भ्रमण कार्यक्रम को सुचारू रूप से लागू कर प्रदेश के ग्रामीण मेधावी छात्रों को मौका देगी। जातिगत, धार्मिक, क्षेत्रीय, लैंगिक भेदभावों को समाप्त करने के लिये सरकार ऐसे सांस्कृतिक, खेलकूद व नेतृत्व विकास कार्यक्रमों का आयोजन करेगी, जिसमें हर धर्म, वर्ण, लिंग व क्षेत्र के युवाओं को भाग लेने का समान अवसर मिलेगा।

5. युवा नीति कियान्वयन योजना

5.1. शिक्षाः–

5.1.1 प्रदेश सरकार, माध्यमिक शिक्षा परिषद् को निर्देश देकर 18 वर्ष तक के सभी युवाओं की निःशुल्क, समान और अनिवार्य शिक्षा को सुनिश्चित करेगी। इसके साथ ही स्कूल न जाने वाले युवाओं को शिक्षा की मुख्यधारा में लाने के लिये, विभिन्न प्रकार की सहायता व कार्यक्रम प्रणाली का निर्माण करेगी।

5.1.2 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्गों व मुस्लिम युवाओं के शिक्षा के आँकड़ों को देखते हुये, राज्य सरकार शिक्षा विभाग और अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याण विभाग को उनके लिये बने विशेष शिक्षा कार्यक्रमों के क्रियान्वयन और निगरानी का आदेश देगी जिससे कि उनको शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ा जा सके।

5.1.3 प्रदेश सरकार लड़कियों की शिक्षा में भागीदारी बढ़ाने के लिये, शिक्षा और अन्य विभागों द्वारा आरम्भ की गयी विशेष छात्रवृत्ति योजनाओं की छात्राओं तक पहुँच और जानकारी को सुनिश्चित करेगी और साथ ही उनके लिये अलग से छात्रावासों के निर्माण का आदेश करेगी।

5.1.4 राज्य सरकार, शिक्षा विभाग को आदेश देकर दूरस्थ शिक्षा पाठ्यक्रमों और मुक्त विश्वविद्यालयों का निर्माण करेगी। इसके साथ ही सरकार शिक्षा विभाग को आदेश देकर ऐसे चल रहे कार्यक्रमों की गुणवत्ता के साथ समता को सुनिश्चित करेगी और पाठ्यक्रमों का प्रचार–प्रसार करेगी ताकि जरूरतमन्द युवाओं को उसका लाभ मिल सके।

5.1.5 राज्य सरकार शिक्षा विभाग के साथ मिलकर शैक्षिक रूप से पिछड़े इलाकों, जैसे– शहरी मलिन बस्तियाँ, संरक्षण गृह आदि के युवाओं की उपयुक्त प्रशिक्षणों तक पहुँच सुनिश्चित करेगी ताकि उन युवाओं को तेजी से बढ़ रही अर्थव्यवस्था में रोजगार मिल सके।

5.1.6 मानसिक और शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण युवाओं के लिये सरकार शिक्षा विभाग को आदेश पारित करेगी ताकि उनको शिक्षा के लिये अतिरिक्त स्कूल आधारित सहायता उपलब्ध करायी जा सके। इसके साथ ही सरकार, शिक्षा विभाग को आदेश पारित कर ऐसे बच्चों को पढ़ा रहे शिक्षकों के लिये भी अतिरिक्त प्रशिक्षण की व्यवस्था करेगी।

5.1.7 राज्य सरकार शिक्षा विभाग को आदेश पारित कर स्कूलों में पढ़ रहे युवाओं के लिये काउन्सलरों को नियुक्त करने का आदेश देगी, जिससे युवा शिक्षा की विभिन्न धाराओं में से अपनी रूचि व क्षमता के अनुसार चयन कर सकेंगे।

5.1.8 राज्य सरकार, बाल एवं महिला कल्याण विभाग और माध्यमिक शिक्षा विभाग के साथ मिलकर, बाल संरक्षण गृह और अन्य राजकीय गृहों में रह रहे किशोर–किशोरियों के लिये शिक्षा की उचित व्यवस्था करेगी और इस सम्बन्ध में चल रहे सभी काय्रक्रमों के सक्रिय क्रियान्वयन को सुनिश्चित करेगी।

5.2. स्वास्थ्य और पोषणः–

5.2.1 स्वास्थ्य विभाग, वर्तमान में संचालित स्वास्थ्य योजनाओं के सक्रिय क्रियान्वयन के लिये निर्देश पारित करेगा, जिससे राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत युवाओं को विभिन्न स्वास्थ्य केन्द्रों जिसमें प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र और जिला अस्पताल शामिल हैं, में युवाओं के लिये आवश्यक विभिन्न जानकारियों जैसे प्रजनन तंत्र संक्रमण रोकना, माहवारी के समय साफ–सफाई, पोषण, यौनिकता, प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य, एच. आई. वी. और गर्भनिरोधकों की जानकारी और सुरक्षित गर्भावस्था की उपलब्धता सुनिष्चित की जा सके।

5.2.2 स्वास्थ्य विभाग ग्रामीण और स्थानीय स्तरों पर युवतियों में कुपोषण, खून की कमी और अन्य

पोषण संबधिंत समस्याओं को समाप्त करने के लिये पंचायती राज, आशा और आँगनबाड़ी कार्यकताओं की नियुक्ति व उनके सुचारू काम को सुनिश्चित करेगी। पौष्टिक आहार जिसमें गुड़, फल और मोटे अनाज शामिल हों तथा आयरन फोलिक एसिड की गोलियों को ग्रामीण युवतियों को आसानी से उपलब्ध कराने की व्यवस्था भी करेगी।

5.2.3 राज्य सरकार स्वास्थ्य विभाग को आदेश पारित कर ग्रामीण व स्थानीय स्तरों पर युवकों को स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी देने के लिये कार्यक्रम बनायेगी और साथ ही उनके लिये पौष्टिक आहार भी सुनिश्चित करेगी।

5.2.4 युवाओं को यौनिकता, प्रजनन और उससे सम्बन्धित विषयों की जानकारी देने के लिये स्वास्थ्य विभाग प्रत्येक शिक्षण संस्थान में युवतियों के लिये महिला डॉक्टर और युवकों के लिये पुरूष डॉक्टर की नियुक्ति कराने का आदेश पारित करेगी। इन सूचनाओं और जानकारियों को मुख्यधारा के युवाओं के साथ शिक्षा की मुख्यधारा से बाहर के युवाओं तक, स्वास्थ्य केन्द्रों और कैम्पों द्वारा पहुँचाना भी सुनिश्चित करेगी।

5.2.5 राज्य सरकार, स्वास्थ्य विभाग को आदेश पारित कर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर काउन्सलिंग केन्द्रों की व्यवस्था करेगी, जिससे ग्रामीण व स्थानीय युवक और युवतियों को स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारियाँ व सूचनायें आसानी से उपलब्ध हो सकें। इसके साथ ही राज्य सरकार विभिन्न कार्यक्रमों के तहत नवविवाहित और अविवाहित युवक और युवतियों के लिये भी काउन्सलिंग की व्यवस्था सुनिश्चित करेगी।

5.2.6 राज्य सरकार स्वास्थ्य विभाग को आदेश देकर राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत ए.एन.एम. और आशाकर्मियों को युवाओं की काउन्सलिंग करने के लिये अलग से प्रशिक्षण देगी। इसके साथ ही प्रशिक्षण प्राप्त ए.एन.एम. और आशाकर्मी द्वारा महीने में एक बार युवक और युवतियों के लिये अलग–अलग काउन्सलिंग के लिये बैठक करवाने का आदेश भी पारित करेगी।

5.2.7 राज्य सरकार स्वास्थ्य विभाग को आदेश पारित कर दलित और पिछड़े वर्ग के युवाओं के लिये अलग से विषेष जागरूकता अभियान चलायेगी, जिससे स्वास्थ्य के सभी कार्यक्रमों और अभियानों में इनकी भागीदारी सुनिश्चित की जा सके।

5.3. नागरिकता एवं भागीदारीः–

5.3.1 प्रदेश सरकार, सरकारी व शासकीय विभागों में युवाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिये विशेष कार्यक्रमों को बनाकर युवाओं का नेतृत्व विकास करेगी और साथ ही चल रही योजनाओं के सक्रिय क्रियान्वयन को सुनिश्चित करेगी। इसके साथ ही पंचायतों को आदेश देकर उनके अधीन बनने वाली कमेटियों में युवाओं की 50 प्रतिशत भागीदारी भी सुनिश्चित करेगी।

5.3.2 प्रदेष सरकार राज्य युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल/ विकास दल विभाग द्वारा युवाओं के लिये चलाये जा रहे कार्यक्रमों, विभागों और संस्थानों के सक्रिय क्रियान्वयन को सुनिश्चित करेगी। इन विभागीय कार्यक्रमों के तहत ऐसी योजनाओं का निर्माण करेगी जिसमें ज्यादा से ज्यादा युवाओं को शामिल किया जा सके।

5.3.3 प्रदेश सरकार, राज्य के युवाओं (विशेषकर युवतियों) को मतदान के अधिकार के बारे में जागरूक बनाने के लिये विशेष जागरूकता अभियान चलायेगी ।

5.3.4 राज्य सरकार, राज्य युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल/ विकास दल विभाग, एन.सी.सी., नेहरू युवा केन्द्रों व गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से तहसील, जिले व राज्य स्तर पर युवा समूहों के गठन का आदेश पारित करेगी। साथ ही जहाँ पर पहले से गठित समितियाँ हैं, उनका शत–प्रतिशत क्रियान्वयन सुनिश्चित कराएगी, जिसका उद्देश्य सरकार की विभिन्न नीतियों के निर्माण और क्रियान्वयन में युवाओं की भागीदारी को सुनिषित करना होगा।

5.3.5 राज्य सरकार, राज्य युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल/विकास दल विभाग, राज्य युवा केन्द्रों और जिला युवा केन्द्रों के निर्माण को हर राज्य और जिला स्तर पर सुनिश्चित करेगी। इसके साथ ही ग्रामीण युवाओं तक शिक्षा, प्रशिक्षण, रोजगार और युवा कार्यक्रमों के बारे सूचना पहुँचाने के लिये ग्रामीण/शहरी युवा केन्द्रों के निर्माण के लिये आदेश पारित करेगी।

5.3.6 राज्य सरकार, राज्य युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल/विकास दल विभाग के तहत बन रहे युवक मंगल दलों की तर्ज पर युवती मंगल दलों के निर्माण का भी आदेश पारित करेगी। साथ ही राज्य महिला कल्याण विभाग, युवतियों की सरकारी व शासकीय विभागों में पहुँच बढ़ाने के लिये विशेष कार्यक्रमों और योजनाओं को पारित करेगा।

5.4 रोजगार, आजीविका, प्रशिक्षण एवं व्यापार में सहयोगः–

5.4.1 राज्य सरकार, माध्यमिक व उच्च शिक्षा विभाग, सभी स्कूलों में आदेश पारित कर व्यावसायिक, रोजगारपरक व जीवन–कौशल शिक्षा को पाठ्यक्रमों का अनिवार्य विषय बनायेगी, जिससे शिक्षा और रोजगार की उभरती दुनिया के बीच सामंजस्य बढ़ सके और युवाओं को आसानी से रोजगार उपलब्ध हो सकें।

5.4.2 प्रदेश सरकार, राज्य युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल/ विकास दल विभाग और नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग को आदेश पारित कर व्यवसाय मेलों का आयोजन करवायेगी, जिससे युवाओं को विभिन्न व्यवसायों के बारे में जानकारी उपलब्ध हो सके।

5.4.3 प्रदेश सरकार, राज्य युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल/विकास दल विभाग को स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में व्यवसाय–मार्गदर्शन केन्द्रों के निर्माण का आदेश देगी, जिससे युवा यहाँ पर आकर अपनी रूचि सम्बन्धी रोजगारों की जानकारी प्राप्त कर सकें।

5.4.4 राज्य युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल/ विकास दल विभाग और शिक्षा विभाग, सरकार व शासन के विभिन्न विभागों में युवाओं को रोजगार के अवसरों को ढूँढ़ने और उपलब्ध कराने में सक्रिय और मुख्य स्त्रोत की भूमिका निभायेंगे।

5.4.5 राज्य युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल/ विकास दल विभाग और शिक्षा विभाग, युवाओं के मध्य स्वरोजगार के अवसरों के बारे में जानकारी और सूचना उपलब्ध कराने के लिये जिला स्तरीय युवा सेवाओं को विकसित और सुदृढ़ करेंगे। साथ ही, युवाओं तक राज्य में क्रियान्वित हो रही/अथवा नई नीतियों, कानूनों तथा कार्यक्रमों की सूचना पहुँचाने के लिए विभिन्न संचार माध्यमों का प्रयोग सुनिश्चित करेंगे।

5.4.6 राज्य युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल/ विकास दल विभाग, लघु और कुटीर उद्योग शुरू करने के लिये ग्रामीण युवाओं को बैंको द्वारा (नाबार्ड और सिड्बी आदि) कम ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध कराने के लिये कार्यक्रमों और योजनाओं का निर्माण करेंगें। साथ ही चल रही योजनाओं को ग्रामीण युवाओं एवं ग्रामीण युवा केन्द्रों तक पहुँचायेंगे, जिससे वह इसका लाभ उठा सकें।

5.4.7 राज्य सरकार, राज्य युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल/विकास दल विभाग को आदेश देकर ग्रामीण क्षेत्रों में ब्लाक स्तर पर, साथ ही शहरी क्षेत्रों में ग्रामीण/शहरी युवा केन्द्रों के निर्माण का आदेश देगी। यह केन्द्र रोजगार कार्यालय और सूचना केन्द्रों के तर्ज पर काम करेंगे और इनमें काम कर रहे युवाओं को समय–समय पर विशेष प्रशिक्षण भी दिया जायेगा।

5.5. हिंसाः–

5.5.1 उत्तर प्रदेश सरकार युवाओं को विधिक साक्षरता एवं सहायता प्रदान करने के लिये, राज्य माध्यमिक व उच्च शिक्षा विभाग एवं जिला विधिक सहायता बोर्डो के साथ मिलकर हर स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालयों में मनोवैज्ञानिक सलाहकार की नियुक्ति करेगी।

5.5.2 प्रदेश सरकार युवाओं के साथ शिक्षण संस्थानों में हो रही हिंसा को रोकने के लिए राज्य माध्यमिक व उच्च शिक्षा विभाग को आदेश पारित कर शैक्षणिक संस्थानों में यौन उत्पीड़न एवं रैगिंग के विरूद्ध कमेटी को बनाने का निर्देष देगी।

5.5.3 सरकार प्रदेश में, महिला एवं बाल कल्याण विभाग, न्याय विभाग और विधिक सहायता विभाग के साथ मिलकर घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 का सक्रिय क्रियान्वयन सुनिश्चित करेगी। साथ ही हर जिले में निर्धारित मानकों के आधार पर संरक्षण गृहों, सेवा प्रदाताओं और संरक्षण अधिकारियों की नियुक्ति सुनिश्चित करेगी।

5.5.4 प्रदेश सरकार, राज्य माध्यमिक व उच्च शिक्षा विभाग को आदेश देकर शिक्षा पाठ्यक्रमों में जेण्डर समानता, कानून की जानकारी, पहचान व सामाजिक भेदभाव और बच्चों व महिलाओं के अधिकारों की जानकारी विषयों को शामिल करेगी।

5.5.5 राज्य सरकार, महिला कल्याण विभाग और उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग को आदेश पारित कर सार्वजनिक यातायात के साधनों में महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा को रोकने के लिए हैल्पलाइन नम्बर पर शिकायत आने पर तुरन्त सक्रिय कदम उठाना सुनिश्चित करेगी।

5.5.6 राज्य सरकार, प्रदेश में अपनी पसन्द से शादी करने वाले युवाओं की जीवन रक्षा को सुनिश्चित करेगी।

5.5.7 प्रदेश सरकार, राज्य युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल/विकास दल विभाग के साथ मिलकर, आतंकवाद रोकथाम अधिनियम 2002 तथा आतंकवाद और विध्वंसात्मक गतिविधि (निरोधक) क़ानून 1987 के तहत वर्तमान में गिरफ्तार या आरोपी युवाओं को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध करायेगी।

5.5.7 राज्य सरकार 18 वर्ष या उससे कम आयु के बच्चो के साथ होने वाली हिंसा को रोकने के लिये हर जिले मे चाइल्डलाइन सक्रिय करेगी और बच्चो के लिये हेल्पलाइन नम्बर 1098 का व्यापक प्रचार प्रसार करेगी।

5.6. सामाजिक सुरक्षाः–

5.6.1 प्रदेश सरकार, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग और समाज कल्याण विभाग को असंगठित क्षेत्रों में कार्य कर रहे लोगों, विशेषकर युवाओं की सामाजिक सुरक्षा के लिये योजनायें और कार्यक्रम बनाने का आदेश पारित करेगी। इन विभागों द्वारा पहले से चलाये जा रहे कार्यक्रमों को सक्रिय व सुचारु ढंग से लागू करवाना भी सुनिश्चित करेगी।

5.6.2 प्रदेश सरकार विभिन्न कार्यक्रमों व योजनाओं जैसे, कर्मचारी भविष्य निधि प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम 1992, कामगार क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923, मातृत्व लाभ योजना 1961, ग्रेच्युटी के भुगतान अधिनियम 1972 के माध्यम से असंगठित क्षेत्रों में काम कर रहे युवाओं के लिये भविष्य निधि, मातृत्व अवकाश और दुर्घटना बीमा व मुआवजा आदि सुनिश्चित करेगी।

5.6.3 प्रदेश सरकार, राज्य महिला आयोग और स्थानीय स्वशासन के विभागों से आदेश पारित कर कार्यस्थल पर होने वाली हिंसा, जिसमें शारीरिक, मानसिक, यौनिक और भावनात्मक हिंसा आदि शामिल है, की रोक–थाम सुनिश्चित करेगी।

5.6.4 राज्य सरकार, विकलांग कल्याण विभाग को आदेश पारित कर विकलांग कल्याण विकास के तहत संचालित योजनाओं के सक्रिय क्रियान्वयन को सुनिश्चित करेगी।

5.6.5 राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि असंगठित क्षेत्रों में कार्यरत युवतियों को भी मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 का लाभ मिले और इस क्षेत्र में कार्यरत युवाओं को कार्य के दौरान किसी दुर्घटना अथवा काम की वजह से होने वाली बीमारी के लिए कामगार क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 का सम्पूर्ण लाभ मिले।

5.6.6 प्रदेश सरकार बेरोजगार युवाओं के सामाजिक सुरक्षा से सम्बन्धित मुद्दों को देखने के लिये टास्क फोर्स (कार्य सेना) का गठन करेगी।

5.6.7 प्रदेश सरकार, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग को आदेश देकर कार्यरत युवाओं के काम की समयावधि और सुरक्षा की जाँच करायेगी और उनकी सुरक्षा को बनाये रखने के लिये पर्याप्त उपाय करेगी।

5.6.8 राज्य सरकार, महात्मा गाँधी राष्ट्रीय रोजगार गारण्टी अधिनियम, 2005 के तहत महिलाओं को मिले विशेष प्रावधानों का क्रियान्वयन सुनिश्चित करेगी।

5.7. आपराधिक न्याय प्रणालीः–

5.7.1 सरकार न्याय विभाग के साथ मिलकर किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष लम्बित मुकदमों को शीघ्र निपटाने का प्रयास करेगी एवं सभी केसों का नियमानुसार चार महीने में निस्तारण करेगी।

5.7.2 प्रदेश सरकार, संरक्षण गृहों में रह रहे किशोर और किशोरियों की उचित देखभाल के लिये राज्य महिला आयोग और बाल कल्याण विभाग को आदेश देकर, किशोर न्याय (देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम, 2006 के अधीन निर्मित होने वाली निगरानी कमेटियों का निर्माण करायेगी और उनको सक्रिय करेगी।

5.7.3 प्रदेश सरकार, बाल एवं महिला कल्याण विभाग को आदेश देकर सभी महिला संरक्षण गृहों, किशोर–किशोरी संरक्षण गृहों में मनोवैज्ञानिक सलाहकार की नियुक्ति करेगी। साथ ही इन सलाहकारों को संवेदनशील बनाने के लिये अलग से प्रशिक्षण की व्यवस्था भी करेगी।

5.7.4 राज्य सरकार, किशोर न्याय (देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम, 2000 के तहत बनने वाली सभी कमेटियों का गठन व क्रियान्वयन सुनिश्चित करेगी व इस अधिनियम की धारा 63 के तहत प्राविधानित विषेष किषोर पुलिस यूनिट को सोषल पुलिस के रूप में क्रियान्वित करेगी।

5.7.5 राज्य सरकार, प्रत्येक राजकीय संरक्षण, सम्प्रेक्षण एवं बाल गृहों में रहने वाले युवाओं को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करने के लिये एक वकील की नियुक्ति करेगी। इसके साथ ही इन सभी संरक्षण, सम्प्रेक्षण एवं बाल गृहों तक महिला व बाल हेल्पलाइन की पहुँच सुनिश्चित करेगी।

5.7.6 प्रदेश सरकार त्वरित न्यायालयों की स्थापना कर महिलाओं के साथ होने वाले आपराधिक मामलों के शीघ्र निस्तारण का निर्देश देगी।

5.7.7 पुलिस जाँच में महिलाओं और बच्चों से सम्बन्धित कानूनों का पुलिस अक्षरशः पालन करेगी और इस मामले में सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिशा–निर्देशों का पालन करेगी।

5.8. युवाओं का शारीरिक एवं नेतृत्व विकासः–

5.8.1 प्रदेश सरकार, राज्य खेल विभाग और शिक्षा विभाग को आदेश पारित कर सभी शैक्षणिक संस्थानों में खेल सम्बन्धी पाठ्यक्रम को शामिल करेगी, जिससे सभी के लिये खेल की धारणा को बढ़ावा मिल सके।

5.8.2 सरकार प्रदेश में खेल को बढ़ावा देने के लिये, राज्य खेल विभाग के साथ मिलकर कार्यक्रमों का निर्माण करेगी और युवाओं का उनके प्रति रूझान बढ़ाने के लिये खेल से सम्बन्धित सभी आवश्यकताओं (मैदानों, छात्रावासों, खेल–सम्बन्धी सामानों आदि) को पूरा करेगी।

5.8.3 प्रदेश सरकार, राज्य खेल विभाग को आदेश पारित कर, ग्रामीण कार्यों और रोजगार के लिये चलाये जा रहे कार्यक्रमों को मिलने वाली धनराशि से स्कूल के विकास के साथ–साथ खेल के मैदानों और सामानों को भी उपलब्ध करायेगी।

5.8.4 प्रदेश सरकार, राष्ट्रीय एकीकरण विभाग को निर्देश देकर जातिगत, धार्मिक, क्षेत्रीय, लैंगिक भेदभावों को समाप्त करने के लिये ऐसे सांस्कृतिक, खेलकूद व नेतृत्व विकास कार्यक्रमों का आयोजन करेगी जिसमें हर धर्म, वर्ण, लिंग और क्षेत्र के युवाओं को भाग लेने का समान अवसर मिलेगा।

6. कार्य–प्रवाह की रूपरेखाः–

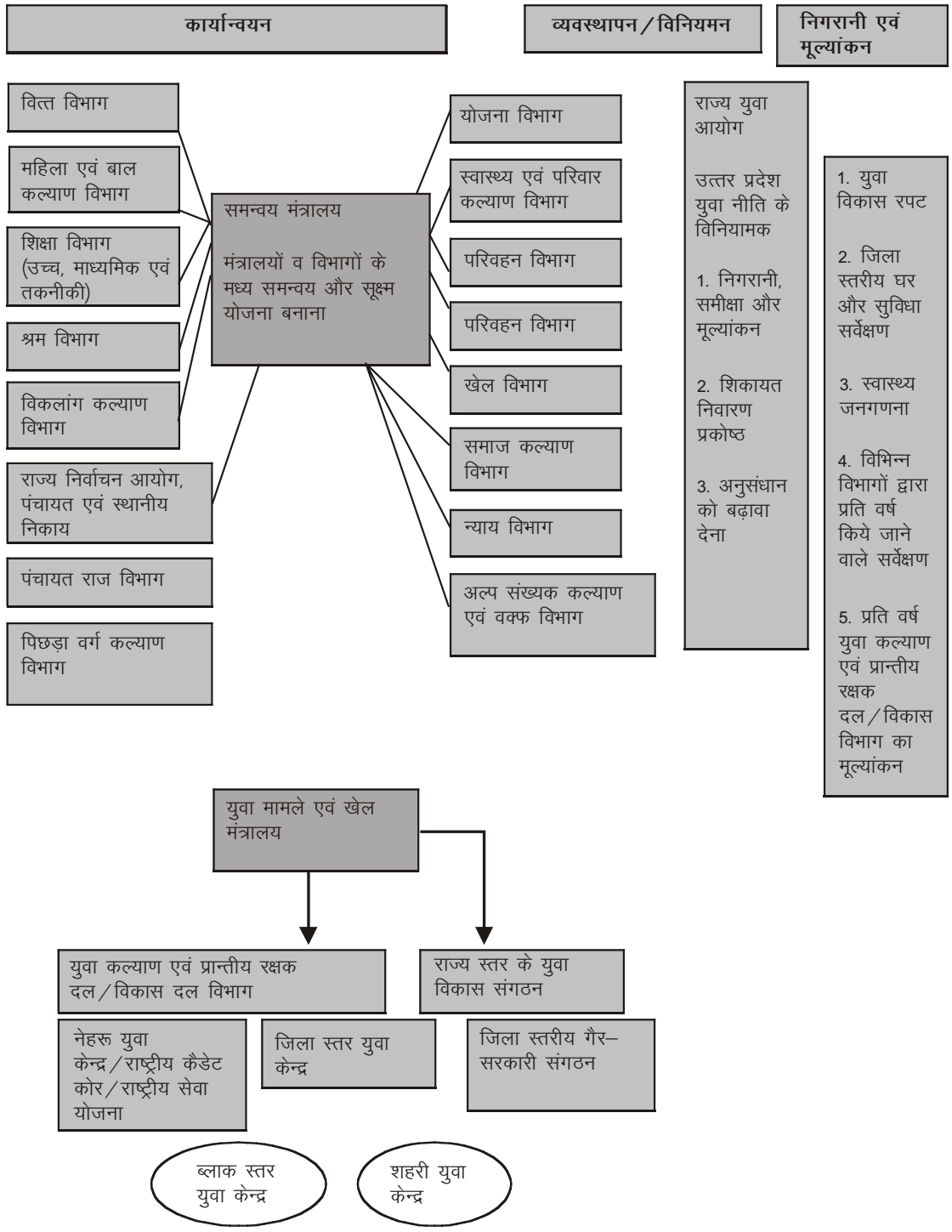

7. संदर्भः–

- राष्ट्रीय परिवार और स्वास्थ्य सर्वेक्षण–3, 2005–06, (15–24 साल के युवाओं के आँकड़े)।
- http://www.un.org/esa/socdev/unyin/qanda.htm.
- राष्ट्रीय युवा नीति, 2003।
- बच्चों के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, विधेयक–2009।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 संशोधित 1992, पृष्ठ संख्या 15।
- जैसा कि http://en.wikipeidia.org/wiki/indira_gandhi_national_open_university की वेबसाइट पर दिनांक 23 नवम्बर, 2009 को देखा गया।
- राष्ट्रीय परिवार और स्वास्थ्य सर्वेक्षण–3, 2005–06 (युवाओं के स्वास्थ्य और पोषण स्थिति के अध्याय के अन्तर्गत)।
- राष्ट्रीय परिवार और स्वास्थ्य सर्वेक्षण–3, 2005–06।
- जैसा कि http://diksha.nic.in/up.htm वेबसाइट पर दिनांक 23 नवम्बर, 2009 को देखा गया।
- National Rural Health Mission, implementation guide on RCH-2, adolescents reproductive sexual health streategy - For State and Districts Managers, 2006 page no. 6
- गर्भपात का चिकित्सकीय समापन अधिनियम 1971, धारा 3 के उपखण्ड 4 अ के तहत।
- राष्ट्रीय युवा नीति 2003 के शिक्षा के मुद्दे के तहत प्रस्तावित प्रावधान।
- राष्ट्रीय परिवार और स्वास्थ्य सर्वेक्षण–3, 2005–06 (युवाओं के स्वास्थ्य और पोषण स्थिति के अध्याय के अन्तर्गत)।
- राष्ट्रीय परिवार और स्वास्थ्य सर्वेक्षण–3, 2005–06 (युवा की स्थिति अध्याय के अन्तर्गत–युवाओं की वैवाहिक स्थिति)।
- राष्ट्रीय परिवार और स्वास्थ्य सर्वेक्षण–3, 2005–06 (युवा व्यवहार अध्याय के अन्तर्गत)।
- राष्ट्रीय परिवार और स्वास्थ्य सर्वेक्षण–3, 2005–06 (युवाओं के स्वास्थ्य और पोषण स्थिति के अध्याय के अन्तर्गत)।
- www.mahilakalyan.up.nic.in की वेबसाइट पर उत्तर प्रदेश महिला नीति के तहत, दिनांक 25 नवम्बर को देखा गया।
- www.wcd.nic.in जैसा कि वेबसाइट पर 25 नवम्बर, 09 को देखा गया।
- http://www.educationinfoindia.com/Universities/U-up.htm
- http://rural.nic.in/book01-02/ch.6.pdf की वेबसाइट पर 24 नवम्बर, 2009 को देखा गया।
- राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की वेबसाइट पर 24 नवम्बर, 2009 को देखा गया।
- http:/ India.gov.in/govt/viewscheme.php?schemeid 1155 जैसा कि वेबसाइट पर 24 नवम्बर, 2009 को देखा गया।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 (संशोधित 1992)।
- www.mahilakalyan.up.nic.in की वेबसाइट पर उत्तर प्रदेश महिला नीति 2006, के अनुसार, दिनांक 25 नवम्बर को देखा गया।
- राष्ट्रीय परिवार और स्वास्थ्य सर्वेक्षण–3, 2005–06।
- National Bank for Agriculture and Rural development and Small Industries Development Bank of India
- विशाखा और अन्य बनाम राजस्थान राज्य और अन्य,1997।
- भारतीय संविधान।
- Data obtained from State Crime Report Bureau, Lucknow, Uttar Pradesh, January, 2008
- UNICEF India website: http://www.unicef.org/india/child_protection_3045.htm,as जैसा कि 9 अक्टूबर 2007 को देखा गया।
- Patel,V. et all. "Gender, sexual abuse and risk behaviours in adolescents: a cross-sectional survey in schoolsin Goa, India.' T he National Medical Journal of India, 14:263-267, (2001).
- द ट्रिब्यून, डिस्ट्रिक्ट इन डिस्कम्फर्ट, द्वारा शहीरा नईम, www.tribuneindia.com/2008.
- http:/www.supremecourtofindia.nic.in/speeches/speeches_2009….. 42k.
- http:/wcd.nic.in/gbhb/link/%20hand%20pdf/hand%20book%20chap%2003.pdf जैसा कि वेबसाइट पर 25 नवम्बर, 09 को देखा गया।
- अर्जुन सेन गुप्ता कमेटी की रिपोर्ट 2007 के अनुसार (एन.सी.ई.यू.एस)।
- असंगठित क्षेत्रों में कार्यरत महिलाओं की स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच'', सहयोग द्वारा किया गया अध्ययन 2008–2009।
- अर्जुन सेन गुप्ता कमेटी की रिपोर्ट 2007 के अनुसार (एन.सी.ई.यू.एस)।
- http:/www.supremecourtofindia.nic.in/speeches/speeches_2009….. 42k.
- www.nyks.org/about%20us_objectives.htm जैसा कि वेबसाइट पर 26 नवम्बर, 2009 को देखा गया।
- Http://yas.nic.in/index1.asp?langid=1&linkid=152 जैसा कि वेबसाइट पर 26 नवम्बर, 2009 को देखा गया।
- http://prdandyouthwelfare.up.nic.in/Non_plan%20Expenditure.htm जैसा कि वेबसाइट पर 26 नवम्बर, 2009 को देखा गया।
- National Bank for Agriculture and Rural development and Small Industries Development Bank of India.